बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक–**29.6.2019**

संख्या–1/नियो०स्था० 02/19 श्रम **56**/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार नियोजन सेवा में नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनके स्थायी अथवा अस्थायी पतों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन मूल कोटि के नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी के वेतनमान वेतन स्तर 9 (₹ 53,100–1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–6 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक/ अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	गृह जिला	पदस्थापित स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1	**श्री दिनेश तिवारी**	242/ 180413	अनारक्षित	कैमूर	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, **लखीसराय**
2	**श्री अनीश तिवारी**	257/ 123210	अनारक्षित	भोजपुर	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, **कटिहार**
3	**श्री अमित कुमार**	270/ 165869	अनारक्षित	अरवल	नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, **पटना**

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये बिहार नियोजन सेवा नियमावली 1987 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

4. अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें, भविष्य में गलत पाये जाने पर नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सरकार को रहेगा।

5. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919, दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

6. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2082, दिनांक–01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा ।

7. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से इक्कीस दिन के अन्दर स्तम्भ–6 में अंकित स्थान में प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को देंगे। प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29/6/19

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव।

संख्या–1 / नियो०स्था० 02 / 19 श्रम **56** / पटना–15, दिनांक–**29.6.2019**

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

संख्या–1 / नियो०स्था० 02 / 19 श्रम **56** / पटना–15, दिनांक–**29.6.2019**

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार / उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

संख्या–1 / नियो०स्था० 02 / 19 श्रम **56** / पटना–15, दिनांक–**29.6.2019**

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 07, दिनांक 09.4.19 के आलोक में / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना / बिहार नियोजन सेवा के सभी पदाधिकारी / सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी अभ्यर्थी चिकित्सा पर्षद् द्वारा योग्य पाये गये हैं।
3. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में उपरोक्त शर्त्तो के तहत स्वयं संतुष्ट होकर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा करेंगे।

सरकार के उप सचिव।

स्पीड पोस्ट

संख्या–1 / नियो०स्था० 02 / 19 श्रम **56** / पटना–15, दिनांक–**29.6.2019**

प्रतिलिपि :– सभी सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सत्यापित फोटोग्राफ

सरकार के उप सचिव।